फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

बैंक ऑफ इण्डिया **बनाम** श्रीमती अनिता वर्मा

प्रकरण संख्या : 142 / 2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
18.08.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया । पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता ने सक्षम प्राधिकारी की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र को विड्रो किये जाने से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। 18/8/21 जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	